



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4460]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2018/कार्तिक 21, 1940

No. 4460]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2018/KARTIKA 21, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

का.आ. 5675 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को नियुक्त करती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 79/2018/फा.सं. 370149/194/2017-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2018

S.O. 5675(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988), the Central Government hereby appoints an Adjudicating Authority at New Delhi to exercise jurisdiction, powers and authority conferred by or under the said Act.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 79/2018/F.No.370149/194/2017-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy and Legislation)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

का.आ. 5676(अ).—केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करती है, कि उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, नई दिल्ली की न्यायपीठ उक्त अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर करेगी।

यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 80/2018/फा.सं. 370149/194/2017-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2018

S.O.5676(E).— In exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988), the Central Government hereby specifies that the New Delhi Bench of the Adjudicating Authority appointed under section 7 of the said Act shall exercise jurisdiction under the said Act over the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 80/2018/F.No.370149/194/2017-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy and Legislation)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

का.आ. 5677(अ).—केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए नई दिल्ली स्थित एक अपील अधिकरण की स्थापना करती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 81/2018/फा.सं. 370149/194/2017-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2018

S.O. 5677(E).—In exercise of powers conferred by section 30 of the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988), the Central Government hereby establishes an Appellate Tribunal at New Delhi to hear appeals against the orders of the Adjudicating Authority under the said Act.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 81/2018/F.No.370149/194/2017-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy and Legislation)